आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर रेरा ने बिल्डरों पर शुरू की कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने नवीनतम तकनीक का प्रयोग कर प्रविधानों का उलंघन करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की है। प्रथम चरण में दस ऐसे प्रोजेक्ट्स की पहचान की है जो बगैर रेरा निबंधन के ही बनाए गए हैं। रेरा ने इस कार्य में वन एवं पर्यावरण विभाग के वैज्ञानिक पदाधिकारी भवेश कुमार की सहायता ली। कुमार ने मंगलवार को रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह के समक्ष एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया, जिसमे उन्होंने बताया की कैसे नवीनतम तकनीक का उपयोग कर रेरा वैसे बिल्डरों के विषय में सूचना प्राप्त कर सकता है जो बिना निबंधन कराए फ्लैट अथवा प्लाट की बिक्री कर रहे हैं। ऐसे प्रोजेक्ट पटना जिले के आनंदपुर, अख्तियारपुर, राजपुर, शिवाला, हथिया कंध, उसरी, रानीपुर, बिहटा, रूपसपुर, आदमपुर एवं दानापुर मौजा में अवस्थित हैं। कुमार ने अपने प्रस्तुतीकरण में दस ऐसे प्रोजेक्ट्स के सेटेलाइट चित्र प्रस्तुत किए जिसमे फ्लैट निर्माण साफ-साफ दिखाई दे रहा है। विवेक कुमार सिंह ने कहा कि हमें जो सेटेलाइट चित्र प्राप्त हुए हैं उससे साफ पता चलता की इन बिल्डरों ने रेरा अधिनियम का उल्लंघन किया है और इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण इन बिल्डरों पर जुर्माना लगाने के अलावा ऐसी परियोजनाओं के फ्लैट्स एवं प्लांटों के निबंधन पर रोक लगाने की कार्रवाई कर सकता है। प्राधिकरण द्वारा गठित तकनीकी दलों को ऐसे स्थलों पर भेजा गया था जहां पर पहले परियोजनाओं के रेरा निबंधन के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे।